



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2009/ज्येष्ठ 1, 1931

No. 819]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2009/JYĀIṢṬHA 1, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 22 मई, 2009

New Delhi, the 22nd May, 2009

का.आ. 1324(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 के अधीन बनाए गए सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 1 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, तारीख 31 मई, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको सीमित दायित्व भागीदारी के नियम 32 और नियम 33 तथा नियम 38 से नियम 40 प्रवृत्त होंगे।

S.O. 1324(E).—In pursuance of clause (b) of sub-rule (2) of Rule 1 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009, made under Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby appoints the 31st May, 2009 as the date on which Rules 32 and 33 and Rules 38 to 40 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 shall come into force.

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एल.-V]

[F. No. 1/1/2009-CL-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

टिप्पण :—सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i) में सं. सा.का.नि. 229(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Note :—The Limited Liability Partnership Rules, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) vide No. G.S.R. 229(E), dated 1st April, 2009.